निर्णय इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

तारीख दायरा 21.09.2021

प्रकरण संख्या : 113/2021

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. सरिता गोयल पुत्री शिवनारायण पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी कृष्णा कालोनी आनन्द गर्ग की गली अस्पताल रोड बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।
3. सरोज जैन पुत्री शिवनारायण पत्नि अरविन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नं. 392 फर्स्ट फ्लोर प्रोफेसर कोलोनी नायापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
4. सीमा सिंघल पुत्री शिवनारायण पत्नि पूनमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नई आबादी पुराने बस स्टैण्ड के पास डग तहसील डग जिला झालावाड राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

दिनांक :— 01.10.2021

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थीगण)

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्रार्थीगण)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय
का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 की पुश्तेनी आराजीयात माल ग्राम बोरदा
पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की
1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12
है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं. 309 की 0.77 है., खसरा नं.
312 की 0.09 है., खसरा नं. 313की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी जो प्रतिवादी
नं. 1 के खाते में दर्ज है ।

वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 4 की पुश्तेनी आराजी है जो
प्रतिवादी नं. 1 को वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 ता 3 के दादा जी व प्रतिवादी नं. 1 के पिताजी
स्वगीय श्री रामनाथ जी से प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से आराजी में बहक पुत्र
होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पिता की सम्पति में बराबर के हकदार होने
से वादीगण उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का नाम खाते में प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में बराबर
का हिस्सेदार होने से अपना–अपना हिस्सा खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं.
1 के हिस्से में वादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी न. 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 का 1/3
हिस्सा दर्ज करवाना ही इस वाद की विषय वस्तु है।

प्रतिवादी नं. 2 ता 4 वादीगण की बहनें है जिनका विवाह हो चुका है तथा वह अपने
अपने ससुराल में अपने पति व पुत्र–पुत्रियों के साथ निवास करने लग गई हैं। प्रतिवादी नं. 1 व
वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का विवाह व सामाजिक समारोह भी कर दिये हैं और सभी को
उपहार भी दिये जा चुके हैं तथा वाद पत्र की मद नं.1 के किसी भाग को वह काश्त नहीं करती है
तथा उनके द्वारा वादीगण के पक्ष में अपना हिस्सा रिलीज कर मौके पर कब्जा करा दिया है।
वादीगण ही प्रतिवादी नं. 1 की सेवा कर रहे हैं और वादीगण का विवाह भी प्रतिवादी नं. 1 द्वारा ही
सम्पन्न करवाया है और आज भी वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 एक ही परिवार के निवासी हैं।
वादीगण अपने परिवार की और अपने बच्चों की परवरिश व अपने परिवार का गुजर बसर उक्त
वर्णित आराजी में निहित अपने हिस्से को शान्ति पूर्वक काश्त करके परिवार चलाते आ रहे थे परन्तु
इस वर्ष वादीगण द्वारा कोरोना काल में फसल कटवाने के लिए जाने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने
वादीगण को फसल काटने से मना कर दिया वादीगण ने बहुत समझाया लेकिन आराजी में हिस्सा
देने से इनकार कर दिया और सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने की कही तथा आराजी से बेदखल
करने की कही। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से अपने बच्चो की पढाई लिखाई व अन्य कृषि आराजी
को काश्त करने के लिए रुपयो की आवश्यकता होने की कही परन्तु प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी की

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रतिलिपि अधिकारी,

अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

एक नहीं सुनी। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 से कहने पर प्रतिवादी नं. 2 ता 4 ने भी असमर्थता जताई तहसील में चलने की कही लेकिन प्रतिवादी 1 ता 4 तहसील में उपस्थित नहीं हुए इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होने से वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा साथ ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण 1 ता 2 व प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में दर्ज किये जाने की कृपा करें। यदि दौराने दावा प्रतिवादी नं. 1 उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र खुर्द-बुर्द कर दे तो पुनः वादीगण को हिस्से आराजी का रिक्त कब्जा दिलाया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जावाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाने पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जामबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
जिला बारां (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय मइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 21.09.2021

प्रकरण संख्या : 113 / 2021

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. सरिता गोयल पुत्री शिवनारायण पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी कृष्णा कालोनी आनन्द मर्ग की गली अस्पताल रोड बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।
3. सरोज जैन पुत्री शिवनारायण पत्नि अरविन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नं. 392 फर्स्ट फ्लोर प्रोफेसर कोलोनी नायापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
4. सीमा सिंघल पुत्री शिवनारायण पत्नि पूनमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नई आबादी पुराने बस स्टैण्ड के पास डग तहसील डग जिला झालावाड राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

दिनांक :— 01.10.2021

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थीगण)

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्रार्थीगण)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर गिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... गिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

गाल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

वजनवान .... अनिल कुमार .... बनाम .... शिवनारायण ....

धारा ....88,89,209........ मुकदमा नं. ......113/2021...... ऑनलाइन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/21	वाद अन्तर्गत धा. 88,89,209 RT. Act के तहत वकील वादी श्री m.c. द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट मुन्सरिम ली गई। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी नोटिस सम्मन किया जावे। पत्रावली दि. 23/11/21 को पेश हो। [signature]	
1.10.21	प्रार्थी शिव नारायण के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र मय पत्रावली पेश की गई। वकील वादी उप. व प्रतिवादी क्र. 1 से 4 की ओर से जितेन्द्र कुमार एड. ने वकालतनामा मय जवाबदावा पेश किया, नकल वकील वादी को दी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण। [illegible] ने [illegible] राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामे पर स्वीकृति [illegible] की गई। राजीनामा तस्दीक किया। जाकर प्रा. पत्रावली फैसल [illegible] [signature]	1. शिवनारायण [illegible] सरोज जैन 2. [illegible] गोयल सीमा [illegible]

अनिल कुमार [signature, left margin] दे 5.9.21 [illegible]

प्रमाणित प्रतिलिपि

[signature]

प्रभारी अधिकारी

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

भारत INDIA

[signature] अनिल कुमार

इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

तारीख दायरा 21.09.2021

प्रकरण संख्या : 113 / 2021

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. सरिता गोयल पुत्री शिवनारायण पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी कृष्णा कालोनी आनन्द गर्ग की गली अस्पताल रोड बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।
3. सरोज जैन पुत्री शिवनारायण पत्नि अरविन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नं. 392 फर्स्ट फ्लोर प्रोफेसर कोलोनी नायापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
4. सीमा सिंघल पुत्री शिवनारायण पत्नि पूनमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नई आबादी पुराने बस स्टैण्ड के पास डग तहसील डग जिला झालावाड राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

दिनांक :— 01.10.2021

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थीगण)

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्रार्थीगण)

1

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 की पुश्तेनी आराजीयात माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं. 309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी जो प्रतिवादी नं. 1 के खाते में दर्ज है ।

वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 4 की पुश्तेनी आराजी है जो प्रतिवादी नं. 1 को वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 ता 3 के दादा जी व प्रतिवादी नं. 1 के पिताजी स्वर्गीय श्री रामनाथ जी से प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से आराजी में बहक पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पिता की सम्पति में बराबर के हकदार होने से वादीगण उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का नाम खाते में प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में बराबर का हिस्सेदार होने से अपना–अपना हिस्सा खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में वादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी न. 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज करवाना ही इस वाद की विषय वस्तु है।

प्रतिवादी नं. 2 ता 4 वादीगण की बहनें है जिनका विवाह हो चुका है तथा वह अपने अपने ससुराल में अपने पति व पुत्र–पुत्रियों के साथ निवास करने लग गई हैं। प्रतिवादी नं. 1 व वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का विवाह व सामाजिक समारोह भी कर दिये हैं और सभी को उपहार भी दिये जा चुके हैं तथा वाद पत्र की मद नं.1 के किसी भाग को वह काश्त नहीं करती है तथा उनके द्वारा वादीगण के पक्ष में अपना हिस्सा रिलीज कर मौके पर कब्जा करा दिया है। वादीगण ही प्रतिवादी नं. 1 की सेवा कर रहे हैं और वादीगण का विवाह भी प्रतिवादी नं. 1 द्वारा ही सम्पन्न करवाया है और आज भी वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 एक ही परिवार के निवासी हैं। वादीगण अपने परिवार की और अपने बच्चों की परवरिश व अपने परिवार का गुजर बसर उक्त वर्णित आराजी में निहित अपने हिस्से को शान्ति पूर्वक काश्त करके परिवार चलाते आ रहे थे परन्तु इस वर्ष वादीगण द्वारा कोरोना काल में फसल कटवाने के लिए जाने पर प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण को फसल काटने से मना कर दिया वादीगण ने बहुत समझाया लेकिन आराजी में हिस्सा देने से इनकार कर दिया और सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने की कही तथा आराजी से बेदखल करने की कही। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से अपने बच्चो की पढाई लिखाई व अन्य कृषि आराजी को काश्त करने के लिए रुपयो की आवश्यकता होने की कही परन्तु प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी को

(अधिक २१६)

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी, ...

अधिकारी

तहसील जिला कोटा

एक नहीं सुनी। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 से कहने पर प्रतिवादी नं. 2 ता 4 ने भी असमर्थता जताई तहसील में चलने की कही लेकिन प्रतिवादी 1 ता 4 तहसील में उपस्थित नहीं हुए इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होने से वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा साथ ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण 1 ता 2 व प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में दर्ज किये जाने की कृपा करें। यदि दौराने दावा प्रतिवादी नं. 1 उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र खुर्द-बुर्द कर दे तो पुनः वादीगण को हिस्से आराजी का रिक्त कब्जा दिलाया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया, किसी के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाने पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जामबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि-

माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. में खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3

प्रमाणित प्रतिलिपि

हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

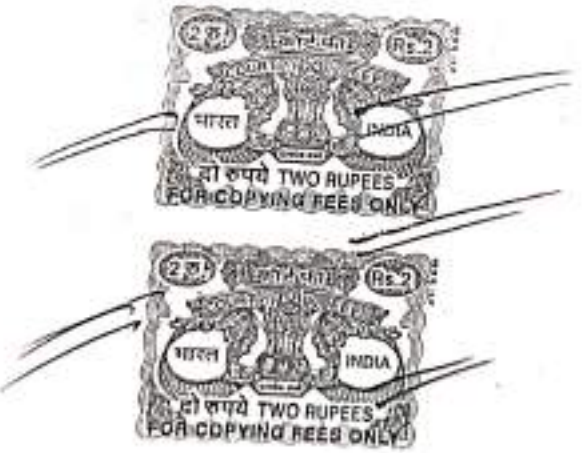

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 113 / 2021

तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। –प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. सरिता गोयल पुत्री शिवनारायण पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी कृष्णा कालोनी आनन्द गर्ग की गली अस्पताल रोड बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।
3. सरोज जैन पुत्री शिवनारायण पत्नि अरविन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नं. 392 फर्स्ट फ्लोर प्रोफेसर कोलोनी नायापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
4. सीमा सिंघल पुत्री शिवनारायण पत्नि पूनमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नई आबादी पुराने बस स्टैण्ड के पास डग तहसील डग जिला झालावाड राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 01.10.2021

श्री मोहन लाल मोटर (वकील प्रार्थीगण)

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील अप्रार्थीगण)

5

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कताई रूबरू गुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि--

माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज. मे खाता नं. 146 की खसरा नं. 224 की 1.77 है., खसरा नं. 242 की 0.01 है., खसरा नं. 243 की 3.58 है., खसरा नं. 256/579 की 0.12 है., खसरा नं. 257 की 0.10 है., खसरा नं. 261 की 0.12 है., खसरा नं.309 की 0.77 है., खसरा नं. 312 की 0.09 है., खसरा नं. 313 की 0.11 है. कुल किता 9 की कुल 6.67 है. आराजी में वादी नं. 1 अनिल कुमार को 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 देवेन्द्र कुमार को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 शिवनारायण को 1/3 हिस्सा हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक – 2022/183 दिनांक– 27/1/22

वास्ते– पटवारी हलका .... कोलाना ....

विषय– मि.न. 3/2022 इजराय की पालना बाबत।

उनवान– .... अनिल / शिवनारायण ....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

दिनांक–

क्रमांक– / 2021 /

प्रतिलिपि–सूचनार्थ / पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद / नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

3|22

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/ 802 दिनांक- 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 113/2021 उनवान अनिल कुमार / [illegible] में जारी डिक्री दिनांक 21/09/21 की पालना में ग्राम [illegible] में नामान्तरकरण सं. 403 दिनांक 16/2/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 146
खाता संख्या पुराना :- 147

... पुत्र शिवनारायण हिस्सा- 1/3 जाति- महाजन सा. देह खातेदार
...1/3 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांगोद
... पुत्र शिवनारायण हिस्सा- 1/3 जाति- महाजन सा. देह खातेदार
...1/3 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांगोद
... पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/3 जाति- महाजन सा. देह खातेदार अ.चिव.- नामा.न.303,305 शुद्धि पत्र न.1
...1/3 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांगोद,

... रकबा	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1.7700	चाही द्वितीय	1.7700	47.79		स्वीकृत नामांतरकरण : 403 16/02/2022 न्याया. आदेश	
0.0100	गै.मु.ट्यूबवैल	0.0100				
3.5800	चाही तृतीय	3.5800	78.76			
0.1200	चाही तृतीय	0.1200	2.64			
0.1000	चाही तृतीय	0.1000	2.20			
0.1200	चाही द्वितीय	0.1200	3.24			
0.7700	चाही तृतीय	0.7700	16.94			
0.0900	बारानी द्वितीय	0.0900	0.63			
0.1100	चाही तृतीय	0.1100	2.42			
6.6700		6.6700	154.6200			

...प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
...प्रति की न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।